

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 59/2017

अपीलांत

1.विशनाराम पुत्र देदाराम
2.बाबुलाल पुत्र देदाराम
जाति जाट निवासी लोलावा
तहसील,सिणधरी

बनाम

रेस्पोंडेंट

राजस्थान राज्य जरिये
1.तहसीलदार,सिणधरी
2.नायब तहसीलदार सिणधरी



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 27.07.2017 बमुकदमा संख्या 07/2017 द्वारा नायब
तहसीलदार,सिणधरी

उपस्थित:- 1.श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांत्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जीवराज गोलिया ने नायब तहसीलदार,सिणधरी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांत-विशनाराम,बाबुलाल ने सम्वत् 2074 में मौजा लोलावा के खसरा नम्बर 62 रकबा 0-08 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ बनाकर कब्जा कर, अतिक्रमण किया है। इस पर नायब तहसीलदार,सिणधरी ने प्रकरण संख्या 07/2017 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 द्वारा अपीलांत्स को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया एंव एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांत्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांत्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस पर अपीलांट न्यायालय में उपस्थित होकर सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने बाबत जवाब दावा व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया, मगर अपीलांट्स को जवाब व दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट के खेत व सरकारी खेत के मध्य अपीलांट की तारबन्दी की हुई है। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है, जुर्माना की राशि अदा कर दी गई है अपीलांट एक गरीब काश्तकार है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त कर सिविल कारावास की सजा माफ की जाए।
4. इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता यह तर्क है कि अपीलांट ने गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिणधरी ने अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो आदेश पारित किया है वह सही एवं उचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाएं।
5. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम लोलावा के खसरा नम्बर 62 रकबा 57-19 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। इस तथ्य को अपीलांट स्वीकार करते हैं अपीलांट ने इस गैर मुमकिन गोचर में से 0-08 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण की गई भूमि गैर मुमकिन गोचर है। गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्बत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 38/2016 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये। जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही की जाकर कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट की इस प्रवृत्ति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एवं न्यायोचित है जिसका हम समर्थन करते हैं। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है



जिला कलेक्टर
बाड़मेर

व भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिकमी ने मौके से कब्जा हटा लिया है। अतः अपीलांत ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है और अतिकमीत भूमि खाली एवं सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।



(शिवप्रसाद प्रजापति)
जिला कलेक्टर बाडमेर
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर बाडमेर
बाडमेर